क्रमांक 2390-3 एस-72/10913

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

(1) हरियाणा के सभी विभाग, अध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी

(2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला तथा सत्र न्यायधीश ।

दिनांक 19 अप्रेल 1972

विषय : डिविजनल हैड आफ डिपार्टमैन्टस की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे नीति ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर संयुक्त पंजाब के परिपत्रों क्रमांक 14 जी 1-57/22998, दिनांक 15 नवम्बर 1957 तथा क्रमांक 10542-जी 111-59/26741, दिनांक 17 दिसम्बर 1959 । संलग्न है) में निहित हिदायतों की ओर दिलाऊं और बताऊं कि इन परिपत्रों में बताई गई हिदायतों के अनुसार म के आयुक्त सभी विभागों के डिविजनल हैड आफ डिपार्टमेन्टस (जिनमें सर्किल लैवल अधिकारी भी शामिल हो जा की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उन अधिकारियों की निम्नलिखित विशेषताओं पर अपने विचार प्रकट करने के लिये हैं :--

1. ईमानदारी,
2. जनता से सम्पर्क तथा
3. विकास योजनाओं तथा सरकार की नीति को पूरा करने में काम ।

सरकार के देखने में आया है कि उपर्युक्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को लिखवाने में एक नीति नहीं जा रही है। अतः अब सरकार ने निर्णय लिया है कि डिविजनल हैड आफ डिपार्टमैन्टस जिनमें सर्किल लैवल आफिसर भी शामि की गोपनीय रिपोर्ट उस अधिकारी के संबंधित विभागीय अध्यक्ष द्वारा लिखी जानी चाहिये और उसके बाद उन रिपोर्टों को अ अम्बाला मण्डल को भेजी जाये। आयुक्त अम्बाला मण्डल उस पर अधिकारी को उपरोक्त विशेषताओं के बारे में अपने विचार लि रिपोर्ट को अगली रिपोर्टिंग एथारिटी (जो मण्डल के आयुक्त को विभाग द्वारा पहले ही (Indicate) की को भेज दें ।

2. आप से अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों के को अनुपालन के लिये नोट कर लिया जाये और की पावती भेजे ।

भवदीय

हस्ताक्षर ,

उप सचिव राजनैतिक एवं

कृते : मुख्य सचिव हरियाणा

एक-एक प्रति अनलंग्नकों सहित सभी वित्तायुक्त, हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय